

अधिकाारी महोदय मुकाम रामगढ शेखावाटी कैम्प कोर्ट रामगढ
व अलजाम श्रीमती रेणु मीणा (आर. ए. एस.)

ज्याना देवी पत्नी श्री बृजा उर्फ बिरजा राम जाति जाट निवासी ग्राम ठेडी
तहसील रामगढ-शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

वादीया

बनाम

1. हेतचन पुत्र स्व. बालु ।
2. बिस्जाराम उर्फ बृजा पुत्र स्व. बालु।
3. रामकुमार पुत्र स्व. बालु।
4. बीरबल पुत्र स्व. बालु। समस्त जाति जाट निवासी ग्राम ठेडी तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।
5. पतासी देवी पत्नी हरलाल जाति जाट निवासी ग्राम तकलसर तहसील रामगढ-शेखावाटी।
6. पटवारी हल्का, ग्राम सवाई लक्ष्मणपुरा तहसील रामगढ-शेखावाटी।
7. तहसीलदार व अप पंजियक, रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।
8. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर सीकर राजस्थान।

.....प्रतिवादीगण

दावा- उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर -17/14 सन् 2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमती रेणु मीणा (आर. ए. एस.) व हाजरी वादि अधिवक्ता श्री राजेश गोस्वामी एवं श्री अनिल बाटड (प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 की ओर से) तथा श्री अनिल मिश्रा (प्रतिवादी संख्या 05 की ओर से) मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीनी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 95/2/1 रकबा 5.06 है० वाके ग्राम सवाई लक्ष्मणपुरा तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान मे प्रतिवादी संख्या 05 पतासी देवी पत्नि हरलाल सिंह के 0.392 है० भूमि भाग तथा किस्तुरी देवी पत्नि बालू के 0.392 है० हिस्सा मे से 0.29 है० कुल भूमि भाग 0.682 है० के स्थान पर वादिया ज्याना देवी पत्नि बृजा उर्फ बिरजाराम को 0.682 है० भूमि भाग का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ शेखावाटी तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे। निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निजीX..... मुबलिकX..... बाबत X
खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह X फीसदी सालाना आज की
तारीख वसूलिया वितक..... Xको अदा करें।

	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	05.00	00	स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	00
स्टाम्प वकालत नामा	04.00	00	स्टाम्प वकालत नामा	03.00	00
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्तनामा वकील			महन्तनामा वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	15.00	00	मुतफरिक		
मीजान	24.00	00	मीजान	04.00	00

नोट- इली खर्चा फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना



उपस्थान अधिकारी
शमगढ़ जिला न्यायालय (सिविल)
लोक अदालत / कमिश्नर
ग्राम पंचायत. 20/8
20/8